

कार्यालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कन्नौज।

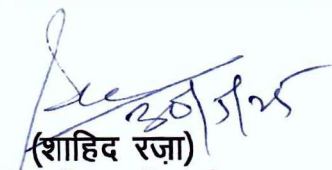
विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्र एवं उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या – 618 / (जी) ई / 2019-टीकवर/2018 दिनांकित 30.07.2019 एवं शासनादेश संख्या – एमएसीटी – 73 / 30-03-2020 दिनांकित 25.02.2020 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कन्नौज में आशुलिपिक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक लेखाकार के पदों पर नियुक्ति संविदा के आधार पर ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी जो न्यायालय कार्य में दक्ष हों एवं जिनकी उम्र 65 वर्ष से कम हो से की जानी है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत निर्देशों के आलोक में जिला न्यायालयों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वरीयता दी जाएगी।

अतः जो अभ्यर्थी अधिकरण में नियुक्ति चाहते हैं। वे अधिकरण के सहायक लेखाकार श्री राजेश कुमार सक्सेना से अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड आवेदन पत्र की प्रति प्राप्त करके उसे आवश्यक प्रपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ दिनांक 20.06.2025 के सायंकाल 04:00 बजे तक अधिकरण के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक के माध्यम से उपलब्ध करा दें। उक्त तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। (नोट: ऐसे अभ्यर्थी जो माह जून 2025 में सेवानिवृत्त हो रहे हों, वे भी आवेदन कर सकते हैं।) उपरोक्त कर्मचारियों की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं उ०प्र० शासन एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय – समय निर्गत आदेशों के अधीन होगी। उपरोक्त कर्मचारीगण की नियुक्ति प्रक्रिया / नियुक्ति के अधिकार के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी / पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कन्नौज का निर्णय अंतिम होगा।

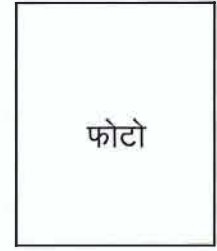
सहायक लेखाकार को निर्देशित किया जाता है कि वे इस विज्ञप्ति का आवश्यक प्रचार – प्रसार किया जाना सुनिश्चित करें।

दिनांक :- 30.05.2025


(शाहिद रज़ा)
पीठासीन अधिकारी,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
कन्नौज।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कन्नौज।

आवेदन का प्रारूप



1. पदनाम
2. अभ्यर्थी का नाम
3. पिता का नाम
4. जन्म तिथि
5. शैक्षिक योग्यता
6. किस पद व विभाग से अवकाश प्राप्त किया गया।
7. अवकाश प्राप्ति की तिथि।
8. अवकाश प्राप्त करते समय कर्मचारी का मूलवेतन।
9. मोबाइल नम्बर
1.
2.
10. क्या आप पर कोई आपराधिक मुकदमा लंबित है ? (यदि हाँ तो उसका विवरण)
.....

नोट:-

1. अभ्यर्थी अपने शैक्षिक अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
2. अभ्यर्थी अपने पेशन निर्धारण प्रपत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
3. अभ्यर्थी अपने पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
4. अन्य कोई प्रपत्र जो आवश्यक समझें।

आवेदक के हस्ताक्षर